

परिशिष्ट - I (पैराग्राफ 1.3 को संदर्भ में लें)

वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों का संक्षिप्त परिचय

1. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)

परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग और बुनियादी अनुसंधान के विकास में लगा हुआ है। विभाग नाभिकीय ऊर्जा/अनुसंधान रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन अन्वेषण, परमाणु खनिज के खनन और प्रसंस्करण, भारी पानी, परमाणु ईंधन निर्माण, ईंधन पुनर्प्रसंस्करण और परमाणु कचरा प्रबंधन के उत्पादन को शामिल करते हुए नाभिकीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने में जुटा हुआ है। यह अपने संस्थानों के माध्यम से बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का भी समर्थन करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 17,516.61 करोड़ रुपये था। परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियाँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारी पानी बोर्ड, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

2. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)

अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहन हेतु देश के कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग और उसकी घटक इकाइयों राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, ध्वनि करने वाले रॉकेट और संबद्ध ग्राउंड प्रणालियों के विकास शामिल हैं। यह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और विकास अनुप्रयोगों की जरूरत के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) कार्यक्रम संचालित करता है। अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से संबंधित मामलों को भी देखता है। वर्ष 2011–12 के दौरान अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹ 3,790.79 करोड़ था। अंतरिक्ष विभाग की गतिविधियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में वनस्पति, प्राणी, वन और वन्य जीव का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम और वनीकरण एवं अवक्रमित क्षेत्रों का पुनर्जनन आदि शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रदूषण की रोकथाम और कमी में भी लगा हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण उन्मुख कार्यक्रमों में देश का नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2011–12 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹ 2,270 करोड़ था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गतिविधियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वानिकी अनुसंधान एवं भारतीय शिक्षा परिषद, केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में तीन विभाग हैं।

4.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियों का आयोजन करने, समन्वय करने और उसको बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए, अपने अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण स्वयं करने या आर्थिक रूप से प्रायोजित करने, अनुसंधान डिजाइन और विकास और अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक संघों और निकायों की सहायता के लिए जिम्मेदार रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए व्यय का परिमाण ₹ 2,521.47 करोड़ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियां प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, रमन अनुसंधान संस्थान, बोस संस्थान, इंडियन असोशिएशन फॉर द कल्टिवेसन ऑफ साइंस, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, सर्वे ऑफ इण्डिया आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

4.2 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)

डीएसआईआर का प्राथमिक प्रयास उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और उच्च व्यावसायिक क्षमता के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास के लिए छोटे/मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक वृहत अंश का समर्थन करना है। विभाग प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास के व्यावसायीकरण के माध्यम, समग्र निर्यात में प्रौद्योगिकी, गहन निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने, औद्योगिक परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत बनाने के लिए देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की सुविधाप्रदान करता है। यह भी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान डीएसआईआर द्वारा किया गए व्यय ₹ 3,214.70 करोड़ था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डीएसआईआर द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है, जिसमें नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आदि के जैसी 39 प्रयोगशालाओं शामिल हैं। ये शोध प्रयोगशालाएँ एयरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, धातु, खनिज आदि के क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करती हैं।

4.3 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी)

डीबीटी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, प्रदर्शनों के माध्यम से देश में जैव प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में प्रमुख क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के लिए ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए अधिदिष्ट है। विभाग विश्वविद्यालय और उद्योग पारस्परिक विचार-विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और जैव सुरक्षा दिशा-निर्देश बनाने, और सेल आधारित टीके निर्माण और प्रयोग करने में लगी हुई है। वर्ष 2011–12 के दौरान डीबीटी द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,208.43 करोड़ था। डीबीटी की गतिविधियाँ इम्फ्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान, सेल विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

5. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस) अच्छी तरह से एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से मानसून और अन्य मौसम/जलवायु मापदंडों, सागर की स्थिति, भूकंप, सुनामी और पृथ्वी प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाओं की भविष्यवाणी में बेहतरीन सेवाओं को देश को प्रदान करने के लिए अधिदिष्ट है। एम.ओ.ई.एस सागर के संसाधनों (सजीव और निर्जीव) की खोज और दोहन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भी संबंधित है, और अंटार्कटिक/आर्कटिक और दक्षिणी महासागर अनुसंधान के लिए एक नोडल भूमिका निभाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान एम.ओ.ई.एस द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,174.60 करोड़ रुपये था। एम.ओ.ई.एस की गतिविधियों को भारतीय मौसम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र आदि, जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

6. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई)

एम.एन.आर.ई का व्यापक उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना और तैनात करना है। एम.एन.आर.ई जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के पूरक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (जैव, पवन, पनबिजली, सौर, ज्वार और भूतापीय) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। मंत्रालय का लक्ष्य अनुसंधान, डिजाइन, विकास, निर्माण की सुविधा प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के बाबर प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, सामग्री, उपकरणों, उप प्रणालियों, उत्पादों और सेवाओं का विकास करना तथा परिवहन, पोर्टेबल और स्थिर अनुप्रयोगों के लिए इन ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की तैनाती ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में करना है। वर्ष 2011–12 के दौरान एम.एन.आर.ई द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,365.22 करोड़ रुपये था। एम.एन.आर.ई की गतिविधियों को सौर ऊर्जा केंद्र, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

7. जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर)

जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और कार्यक्रमों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई और भू-जल संसाधनों के विकास सहित जल संसाधन के क्षेत्र में समग्र योजना, नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन किया जाता है। इस के अतिरिक्त, मंत्रालय राज्यों के बीच नदी जल वितरण और नदियों के जल पर पड़ोसी देशों के साथ वार्ता के संबंधी विवादों में मध्यस्थता और सरलीकरण में शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹ 1,066.03 करोड़ था। जल संसाधन मंत्रालय अन्तर्राज्यीय नदियों में बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान की तैयारी के लिए केंद्रीय नेटवर्क के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय केन्द्रीय द्वारा जल आयोग, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है।

परिशिष्ट - II (पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
2008–09 का सीए 16	2.1	वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना टाटा मेमोरियल सेंटर में डॉक्टरों के लिए एक उदारीकृत योजना का कार्यान्वयन	डीएई
	2.2	एक समझौते के गैर समाप्ति/पुनरुवार्ता के कारण ₹ 1.84 करोड़ की हानि	
	2.3	सुरक्षा पर अधिक खर्च	
	2.4	बिजली की खपत पर परिहार्य व्यय	
	2.5	विश्व स्तरीय के गामा किरण वेधशाला की गैर स्थापना	
	2.6	विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोड द्वारा उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	4.1	परियोजना का समय से पूर्व काम बंद करने पर निजी कंपनी से बकाया राशि की गैर वसूली	डीएसआईआर
	4.2	लेखापरीक्षा के कहने पर बकाया राशि की वसूली	
	4.3	स्टाफ क्वार्टर के लिए बिजली पर परिहार्य व्यय	
	4.4	खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधियां	
	4.5	केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कराइकुड़ी द्वारा बैटरी/खेल पर प्रौद्योगिकी का विकास और उनका व्यावसायीकरण	
	4.6	सेंट्रल ग्लास और सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता की गतिविधियां	
	5.1	प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद बकाया राशि की गैर वसूली	डीएसटी
	5.2	वेतन ढांचे के चयनात्मक अंगीकरण के कारण अधिक व्यय	
	5.3	बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान संस्थान, लखनऊ की गतिविधियां	
6.1	ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता	एमओईएफ	
	6.2	परिवहन भत्ता के अग्राह्य भुगतान	
	6.3	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली की कार्य पद्धति	
7.1	मांग के बिना आवासीय क्वार्टर और छात्रावास इकाइयों का निर्माण	एमओईएस	

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
	7.2	उच्चतर लोड के करार के कारण परिहार्य व्यय	
2010–11 का 17	2.1	वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की एक योजना की विफलता	एमओईएफ
	2.2	विकासशील वन संसाधनों के उद्देश्य की गैर उपलब्धि	
	3.1	भारत में जैव विविधता का विनियमन	
	3.2	जैव विविधता सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की भूमिका	
	4.1	इकोसिटी कार्यक्रम के उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	4.2	चमड़े के कारखानों के कारण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	5.1	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली की गतिविधियां	
2011–12 का 16	5.1	एक जलयान के नवीनीकरण पर बेकार खर्च	एमओईएस
	13.1	सोफ्टवेयर उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय	एमएनआरई
	15.2	कचरे के सुरक्षित निपटान के माध्यम से बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन	डीएसआईआर
	15.3	एक परियोजना के उद्देश्यों की गैर प्राप्ति	
	19.1	एक लाइनेक ट्यूब के विकास पर निष्क्रिय निवेश	डीओएस
	19.2	विद्युत शुल्क और उपकर का परिहार्य भुगतान	
2012–13 का 4	पृथक् एकल रिपोर्ट	देवास के साथ संकर उपग्रह डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा समझौते पर भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	डीओएस
2012–13 का 13	10.1	₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	डीएई
	11.1	मांग शुल्क का परिहार्य व्यय	डीओएस

परिशिष्ट - III (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	2011–12 में दिए गए अनुदान की राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग		
1.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	21.18
2.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	27.39
3.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	43.30
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	359.08
5.	टाटा स्मारक केंद्र, मुंबई	279.99
6.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	451.64
7.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	28.89
8.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	210.00
9.	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	110.19
अंतरिक्ष विभाग		
10.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	1.75
11.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	10.00
12.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुपति	13.43
13.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	64.45
14.	सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला, चंडीगढ़	49.78
15.	विज्ञान औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कसल्टेंसी विकास केन्द्र, नई दिल्ली	4.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
16.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	30.00
17.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	19.96
18.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	3.50
19.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	16.25
20.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	9.87
21.	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली	0.17
22.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वनुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	18.53
23.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	11.03
24.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देरादून	22.96
25.	आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	13.63
26.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई	28.38
27.	रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	40.40
28.	सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बंगलौर	5.77
29.	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	53.20
30.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर	50.00
31.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर	8.18
32.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर	53.20

33.	बसु संस्थान, कोलकाता	60.38
34.	इंडियन एसोसियेशन फौर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता	62.90
35.	बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	30.10
36.	भारतीय विज्ञान कंग्रेस संस्थान, कोलकाता	3.87
37.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्यन संस्थान, गुवाहाटी	10.50
38.	राष्ट्रीय इनोवेशन फाउण्डेशन अहमदाबाद	9.00
39.	भारतीय फेंच उन्नत अनुसंधान प्रचार केन्द्र, नई दिल्ली	**
40.	भारतीय अमेरिका एस एण्ड टी फोरम, नई दिल्ली	**

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

41.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगाँव	29.00
42.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	22.00
43.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे	24.54
44.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली	58.305
45.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, त्रिवेन्द्रम	31.20
46.	डीएनए अंगुलिदाव एवं डाग्नोस्टीक केंद्र, हैदराबाद	38.02
47.	जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, इम्फाल	7.63
48.	जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	35.00
49.	ट्रांस्लेशन स्वास्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	**
50.	यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद	**
51.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और जैव प्रसंस्करण इकाई, मोहाली	**
52.	स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्जीवी चिकित्सा संस्थान बंगलौर	**
53.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमीक्स संस्थान, कल्याणी	**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

54.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	62.00
55.	गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा	10.47
56.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	12.50
57.	भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देरादून	125.07
58.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	9.55

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

59.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई*	11.90
60.	स्रदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	6.50

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

61.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	124.11
62.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे	107.19
63.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री जानकारी सेवायें केंद्र, हैदराबाद	51.41
64.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा	298.51
	कुल	3,301.75

* नियंत्रक—महानेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, तथापि लेखापरीक्षा एक अध्यारोपित प्रकृति की है।

** जानकारी उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - IV (पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)**बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र**

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	(₹ लाख में)
परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	99-2000	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
	2003-04	4	4.50
	2004-05	10	122.07
	2005-06	15	19.35
	2006-07	49	106.34
	2007-08	47	406.48
	2008-09	37	372.98
	2009-10	45	1,176.32
	2010-11	71	1,051.63
कुल		305	3,305.52
अंतरिक्ष विभाग	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1991-92	1	0.15
	1993-94	1	1.28
	1998-99	1	0.20
	99-2000	2	1.30
	2000-01	4	54.87
	2001-02	7	128.91
	2002-03	11	162.75
	2003-04	15	202.95
	2004-05	12	218.62
	2005-06	28	124.50
	2006-07	17	31.46
	2007-08	15	50.47
	2008-09	25	272.26
	2009-10	59	232.12

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	(₹ लाख में)
	2010-11	81	503.01
	कुल	302	1,993.34
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6,531.00
	1988-89	359	2,543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1,439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	83	167.88
	1995-96	82	174.18
	1996-97	305	1,058.36
	1997-98	156	557.99
	1998-99	316	758.70
	99-2000	300	1,234.98
	2000-01	327	797.95
	2001-02	355	1,006.82
	2002-03	308	944.23
	2003-04	382	1,321.76
	2004-05	372	1,569.67
	2005-06	291	1,434.86
	2006-07	281	1,801.41
	2007-08	292	2,410.71
	2008-09	241	1,973.48
	2009-10	198	7,957.95
	2010-11	182	43,833.32
	कुल	6,548	82,007.17
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2005-2006	1	3.34
	2006-2007	1	2.00
	2007-2008	10	230.06
	2008-2009	21	405.23
	2009-2010	63	1,524.72
	2010-2011	142	6,095.94
	कुल	238	8,261.30
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-84	9	0.72
	1984-85	25	44.47
	1985-86	19	5.51
	1986-87	15	7.95
	1987-88	37	39.80
	1988-89	43	140.90

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	(₹ लाख में)
मंत्रालय/विभाग	1989-90	66	65.21
	1990-91	39	251.23
	1991-92	6	83.83
	1992-93	20	205.27
	1993-94	16	91.90
	1994-95	13	53.88
	1995-96	36	203.90
	1996-97	37	54.37
	1997-98	52	228.88
	1998-99	40	251.18
	99-2000	40	691.04
	2000-01	34	173.16
	2001-02	18	124.58
	2002-03	10	17.12
	2003-04	47	101.18
	2004-05	32	485.41
	2005-06	45	286.65
	2006-07	39	701.12
	2007-08	82	768.06
	2008-09	59	1,035.63
	2009-10	64	497.27
	2010-11	209	1,876.01
कुल		1,152	8,486.23
जल संसाधन मंत्रालय	1986-87	3	12.50
	1987-88	1	4.04
	1988-89	2	4.23
	1989-90	2	2.85
	1990-91	3	7.17
	1991-92	3	6.56
	2000-01	1	3.34
	2001-02	2	40.00
	2006-07	6	39.53
	2007-08	42	432.25
	2008-09	69	1,077.82
	2009-10	62	587.02
	2010-11	124	2,901.34
कुल		320	5,118.65
कुल योग		8,865	1,09,172.20

परिशिष्ट -V (पैराग्राफ 1.10 के संदर्भ में)

विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों

(₹ लाख में)

क्रं सं.	उपक्रम का नाम	लेखों का काल	सरकारी पूँजी	थोक परिसम्पत्तियों	अवमूल्यन की तिथि	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी के लिए कुल वापसी का प्रतिशत	टिप्पणी
1.	परमाणु ईंधन कॉम्लेक्स	2011-12	92,408.90	62,528.48	28,094.53	18,133.54	12,195.63	30,329.17	33.40	आंकड़े अनंतिम हैं
2.	भारी जल बोर्ड	2011-12	16,30,103.39	33,553.31	1,25,133.20	-29,328.39	97,810.58	68,482.19	5.51	आंकड़े अनंतिम हैं

परिशिष्ट - VI (पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

वर्ष 2011-12 के दौरान अपलिखितधारा की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(₹in lakh)

मंत्रालय / विभाग का नाम	अपलिखित हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएँ जिस कारण से									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा / धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्राशिया आदायगी	
	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	25	8.00	-	-	-	-
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	3	0.20	-	-	2	2.00
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	-	-	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	-	-	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	-	-	-	-	शून्य	शून्य	-	-	-	-
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
जल संसाधन मंत्रालय	-	-	-	-	4	0.257	1	24.78	-	-
कुल	-	-	-	-	32	8.457	1	24.78	2	2.00

परिशिष्ट - VII (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से दिसंबर 2012 तक की एक्शन टेक्नेन नोट की वांछित स्थिति मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक— एटीएन जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में दरी (महीनों में)
----------	---------------------------	------------------	-------------	--

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

1.	2007 की 13 (पी	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण	63
2.	2008–09 की सी	5.2	वेतन का चयनात्मक ढांचा अपनाने के कारण अधिक व्यय	25
3.	2008–09 की सी	5.3	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ की गतिविधियां	25

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

4.	21 of 2011-12	पृथक एकल रिपोर्ट	भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा	12
----	---------------	------------------	---	----

परिशिष्ट - VIIए (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से दिसंबर 2012 तक की एक्शन टेकेन नोट की वांछित स्थिति मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक— एटीएन जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां/अवलोकन मंत्रालयों/विभागों को दे दिए गए परन्तु संशोधित एटीएन छ: माह से अधिक समय से भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	शीर्षक	एटी.एन. की प्रस्तुति में दरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	2001 की 5	5.3	ऊर्जा शुल्क पर परिहार्य व्यय	12
2.	2002 की 5	9.1	असावधानी के कारण परिहार्य व्यय	8
3.	2006 की 9	6.0	परमाणु ऊर्जा विभाग की गैर कर प्राप्तियाँ	11
4.	2008 की पीए19	पृथक एकल रिपोर्ट	दाबित भरी पानी रिएक्टर के ईंधन का प्रबंधन (नाभिकीय ईंधन चक्र का अगला छोर)	30
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
5.	1996 की 6	5.2	उपभोग नहीं किए गए ऊर्जा के लिए अतिरिक्त व्यय	194
6.	1996 की 6	5.8	सीएसआईआर के मैनपावर लेखापरीक्षा की समीक्षा	190
7.	1998 की 5	2.1	औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, लखनऊ	141
8.	1998 की 5	2.3	दोषपूर्ण डिजाइन के कारण अतिरिक्त व्यय	18
9.	1999 की 5	4.4	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में प्रद्योगिकी स्थानांतरण की समीक्षा	148
10.	2003 की 5	2.1	निष्फल व्यय	11
11.	2003 की 5	4.2	बेकार व्यय	17
12.	2005 की 5	6.1	उपभोग नहीं किए गए ऊर्जा के लिए अतिरिक्त व्यय	69
13.	2008–09 की सीए 16	4.1	परियोजना की अल्प समाप्ति पर निजी कंपनियों से बकाया देय राशि की गैर वसूली	46
14.	2008–09 की सीए 16	4.2	लेखापरीक्षा के उदाहरण पर बकाया देय राशि की वसूली	17
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
15.	2005 की 5	5.1	जीटीएस— दो सौ वर्षीय समारोह के दौरान निष्फल व्यय	86

16.	2006 की 1	3	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्य	37
17.	2008 की सीए 3	5.1	निष्फल व्यय	23
18.	2008 की सीए 3	5.2	सेवा का अनियमित विस्तार	19
19.	2008–09 की सीए 16	5.1	प्रौद्योगिकी विकास के बावजूद बकाए की गैर वसूली	24
जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
20.	2003 की 5	3.1	जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा	109
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
21.	1998 की 5	9.1	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून की समीक्षा	12
22.	2003 की 5	10.1	आयकर के रिफंड की गैर-प्राप्ति एवं ब्याज का परिहार्य भुगतान	9
23.	2006 की 18 (पीए)	पृथक एकल रिपोर्ट	बाघ रिजर्व में बाघों का संरक्षण एवं सुरक्षा	23
24.	2008–09 की सीए 16	6.1	ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता	7
25.	2008–09 की सीए 16	6.2	यात्रा भत्ता का अवैध भुगतान	8
26.	2010–11 की संख्या 17	2.2	वन संसाधन विकास के उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि	16
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
27.	2008–09 सीए 16	7.1	मांग के बिना आवसीय क्वार्टर्स एवं हॉस्टल का निर्माण	11